[2022] 4 एस.सी.आर. 615

दिलीप हरिरामणि

बनाम्

बैंक ऑफ बड़ौदा

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 767)

मई 09, 2022

[अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना, जे.जे.]

प्राक्रम लिखित अधिनियम, 1881: एस.138 आर/डब्लू एस141 चेक का अनादर–भागीदार का प्रत्यावर्ती दायित्व तथ्यों पर,

अपर्याप्त धन–शिकायत धारा 138 के साथ 141 अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ, फर्म का भागीदार होने के नाते फर्म ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया अपील पर अभिनिर्धारित किया : धारा 141 काल्पनिक मान कर प्रत्यार्थी दायित्व अधिरोपित करें जो एक प्रमुख अभियुक्त के रूप में कंपनी या फर्म द्वारा अपराध कराने का अनुमान लगाता है और उन्हें पत्यावर्ती के रूप में उत्तरदायी और दोषी ठहराये जाने की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी ने अपने व्यक्तिगत क्षमता में या अन्यथा एक भागीदार के रूप में कोई ऐसा चेक जारी नहीं किया जिसका अपमान किया गया हो।

अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह दिखाने और स्थापित करने केलिए कि अपीलार्थी फर्म के मामलों के संचालन केलिए प्रभारी और जिम्मेदार था। अपीलार्थी की दोषसिद्धी को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी को केबल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उस फर्म का भागीदार था जिससे ऋण लिया था या कि वह ऐसे ऋण केलिए एक गारंटर रूप में खड़ा था इसप्रकार अपीलार्थी का दोषसिद्ध धारा 138 के साथ 141 से अलग रखे।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुये

1.1 धारा 141 की उपधारा 1 परक्रामय लिखित अधिनियम 1881 में कहा गया है कि जहां कोई कंपनी एक अपराध प्रत्येक व्यक्ति जो एक उस समय अपराध किया गया था के प्रभारी थे और कंपनी केलिए जिम्मेदार थे। व्यवसाय के सचांलन के साथ साथ स्वयं कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जायेगा। अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति एक निदेषक, भागीदार या अन्य अधिकारियों या व्यक्तियों को शामिल करने केलिए प्रयाप्त ब्यापक और ब्यापक है। साथ ही यह इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो कंपनी के प्रभारी और उसके व्यवसाय और उसके संचालन केलिए जिम्मेदार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। एन.आई.अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने का भार है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा

चलाया गया है वह कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए व्यवसाय के संचालन केलिए जिम्मेदार था। परन्तु जो एक अपवाद की प्रकृति का है कहता है कि उपधारा एक के तहत उत्तरदायी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जायेगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसके बिना किया गया था या कि उसने इस अपराध को रोकने केलिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। संतुष्ट करने की जिम्मेदारी आपेक्षाएं और परन्तुक का लाभ उठाना अभियुक्त पर है। फिर भी यह एन.आई अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 1 की आवश्यकताओं को पहले स्थापित करने केलिए अभियोजन पक्ष पर प्रारंभिक दायित्व और बोझ को विस्थापित यह समाप्त नहीं करता है परन्तु एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो एन आई अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 1 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। पारा –7 624 बी.एफ.

1.2 एन.आई.अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 2 में कहा गया है कि उपधारा 1 में कुछ भी निहित होने के वाबजूद जहां कंपनी ने अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है और यह साबित होता है कि कोई ऐसा अपराध सहमति या सहमति से किया गया है। कंपनी के किसी भी निदेषक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों की मिली भगत या उनकी ओर से किसी भी लापरवाही केलिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता हैतो ऐसे निदेषक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी उस अपराध में दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार दंडित किया जायेगा। एन.आइ. अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 2 में यह नहीं कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की गणना की गयी है उनमें एक अधिकारी शामिल हो सकता है। कंपनी केबल उनके कारण मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। निदेषक, प्रबंधक, सचिव, या किसी अन्य अधिकारी के रूप में स्थिति या पद जब तक कि विचाराधीन अपराध उनकी सहमति या मिलीभगत से नहीं किया गया था या उनकी ओर से किसी भी उपेक्षा केलिए जिम्मेदार नहीं है। एन.आइ.अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 2 के तहत जिम्मेदार अभियोजन पक्ष पर है न कि उस व्यक्ति पर जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। पारा 8 624 एच.एफ. 625 ए.बी.

1.3 यह प्रत्यर्थी बैंक का स्वीकृत मामला है कि अपीलार्थी ने तीन चेको में से कोई भी जारी नहीं किया था जिसमें अपमानित किया गया। अपनी व्यक्तिगत क्षमता या अन्यथा साथी अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह दिखाने और स्थापित करने केलिए अपीलार्थी प्रभारी था। फर्म के कार्या के संचालन केलिए जिम्मेदार अपीलार्थी को दोषसिद्ध को दरकिनार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी को केबल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि वह उस फर्म का जिम्मेदार था जिसने ऋण लिया था या वह ऐसे ऋण केलिए गारंटर के रूप में खड़ा था। साक्षेदारी अधिनियम 1932 नागरिक दायित्व पैदा करता है इसके अलावा अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत गारंटर का दायित्व एक नागरिक दायित्व है। अपीलार्थी का नागरिक दायित्व हो सकता है और वह बैकों और वित संस्थानों के देय ऋणों की वसुली अधिनियम 1993 और वित्त परिसंतियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःनिर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के तहत भी उत्तरदायित्व हो सकता है हांलाकि एन.आई अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में अपराधी कानून में प्रत्यावर्ती दायित्व को नागरिक दायित्व के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एन.आइ. अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 1 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व को तब निर्धारित किया जा सकता है जब व्यक्ति कंपनी या फर्म के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के समगर नियंत्रण में हो। एन.आइ. अधिनियम की धारा 141 की उपधारा 2 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व निदेषक, प्रबंधक, सचिव के या अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण कर्यात्मक या लेन देन की भूमिका

के कारण उत्पन्न हो सकता है इसके वाबजूद अपराध के समय व्यक्ति कंपनी के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के समगर नियंत्रण में नहीं था। पारा–11 627 बी.जी.

1.4 *धारा 141 के प्रावधान काल्पनिक मानते हुये प्रत्यावर्ती दायित्व लागू करते है जो पूर्व निर्धारित करता है और जिसकी आवश्यकता होती है। कंपनी या फर्म के द्वारा अपराध करना इसलिए जब कंपनी या फर्म ने प्रमुख अभियुक्त के रूप में अपरध नहीं किया है तब तक उपधारा 1 या 2 में उल्लेखित व्यक्ति उत्तरदायित्व नहीं होगें और पत्यक्षरूप से उत्तरदायी के रूप में दोषी नहीं ठहराये जायेगें। धारा 141 कंपनी या फर्म से जुड़े अधिकारियों केलिए प्रत्यावर्ती अपराधिक दायित्व का विस्तार करती है। जब धारा 141 की दोहरी आवश्यकताओं में से एक को पूरा किया जाता है तो किस व्यक्ति या व्यक्तियों को काल्पनिक समझ कर प्रत्यावर्ती रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है और दंडित किया जाता है हालांकि इस तरह की प्रत्यावर्ती देयता केबल तभी उत्तपन्न होती है जब कंपनी या फर्म प्राथमिक अपराधी के रूप में अपराध करती है। पारा –14 630 ए.सी.*

1.5 *अपीलार्थी दोषसिद्धी धारा 138/141 एन.आइ.ए. को अलग रखा गया है। उच्च न्यायालय का विवादित फैसला सेशन न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा पारित दोषसिद्ध और सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। पारा 15 631 बी*

मोनाबेन केतनभाई शाह और अन्य बनाम् गुजरात राज्य और अन्य (2004) 7एस.सी.सी. 15 [2004] 4 पूरक एस.सी.आर. 411;

अनीता हाड़ा बनाम गॉड फादर ट्रैभल्स और टूर प्राइवेट लि0 (2012) 5 एस.सी.सी. 651 [2012] 5 एस.सी.आर 503;

कर्नाटक राज्य बनाम् प्रतापचंद और अन्य 1981 2 एस.सी.सी. 335 1981 3 एस.सी.आर. 200

एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकलस लि0 बनाम् नीता भल्ला और अन्य 2005 8 एस.सी.सी. 89 2005 3 पूरक एस.सी. आर. 371

राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम लि0 बनाम् हरमित सिंह पेंटल और अन्य 2010 3 एस.सी.सी. 330 2010 2 एस.सी. आर. 805

गिरधारी लाल गुप्ता बनाम् डी.एच. मेहता और अन्य 1971 3 एस.सी.सी. 189 1971 3 एस सी आर 748

कर्नाटक राज्य बनाम् प्रतापचंद और अन्य 1981 2 एस एस सी 335 1981 3 एस.सी.आर. 200

डेलडिसुजा बनाम् उपमुख्य श्रमआयुक्त और अन्य 2021 एस.सी.सी. ऑन लाइन एस.सी. 1012 के माध्यम से भारत सरकार

मद्रास राज्य बनाम सी.वी. पारेख और अन्य 1970 3 एस.सी.सी. 491

श्योरत्न अग्रवाल और अन्य बनाम् मध्य प्र0 राज्य 1984 4 एस.सी.सी. 352 1985 1 एस.सी.आर. 719

अनील हाडा बनाम् इंडियन एकिरलिक लि0 2000 1 एस.सी.सी. 1 1999 5 पूरक एस.सी.आर. 6

शरत कुमार सांधी बनाम् संगीता राणे 2015 12 एस.सी.सी. 781 2015 2 एस.सी.आर. 145

हिमांशु बनाम् वि. शिवमूर्ति और अन्य 2019 3 एस.सी.सी. 797 2019 1 एस.सी.आर. 991

हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि0 बनाम् मध्य प्रदेश राज्य 2020 10 एस.सी.सी. 751

मामला कानून संदर्भ

पारा–6 को [2004] 3 पूरक एस.सी.आर. 411 में संदर्भित किया गया है।

पारा–7 और 14 को [2012] 5 एस.सी.आर. 503 में संदर्भित किया गया है।

पारा–7 को [1981] 3 एस.सी.आर. 200 में संदर्भित किया गया है।

पारा–7 को [2005] 3 पूरक एस.सी.आर. 371 में संदर्भित किया गया है।

पारा–10 को [2010] 2एस.सी.आर. 805 में संदर्भित किया गया है।

पारा–11 को [1971] 3 एस.सी.आर. 748 में संदर्भित किया गया है।

पारा–11 को [1981] 3 एस.सी.आर. 200 में संदर्भित किया गया है।

पारा– 13 को [1970] 3 एस.सी.सी. 491 में संदर्भित किया गया है।

पारा–13 को [1985] 1 एस.सी.आर. 719 में संदर्भित किया गया है।

पारा–13 को [1999] 5 पूरक एस.सी.आर. 6 में संदर्भित किया गया है।

पारा–14 को [2015] 2 एस.सी.आर. 145 में संदर्भित किया गया है।

पारा–14 को [2019] 1 एस.सी.आर. 991 में संदर्भित किया गया है।

पारा–14 को [2020] 10 एस.सी.सी. 751 में संदर्भित किया गया है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयकः आपराधिक अपील संख्या 2022 का 767

उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.10.2020 निर्णय और आदेश से 2019 के आपराधिक पुननिरिक्षण याचिका संख्या 1512 में विलासपुर में छत्तिसगढ़ में न्यायपालिका

प्रमोद कुमार दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता, रविशर्मा, अंजनी कुमार राय, टी. परासर, प्रिसं कुमार, दिपनारायण सरकार अधिवक्ता अपीलार्थी केलिए

सुश्री प्रवीणा गौतम, पवन सुक्ला, राजाराम, अमन एस.शर्मा, अमन रस्तोंगी अधिवक्ता उत्तरदाता केलिए

संजीव खन्ना जे. के द्वारा निर्णय सुनाया गया

छुट्टी दे दी गयी।

2. अपीलार्थी दिलीप हरीरामणी द्वारा इस अपील में उठाये गये मुद्दे धारा 144 के साथ पठित धारा 138 1 के तहत उसकी दोषसिद्ध को चुनौती देना पराक्रम में लिखित अधिनियम 1981 इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा 1. किसी भागीदार के प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व और 2. क्या किसी भागी दार को दोषी ठहराया जा सकता है और पत्यावर्ती रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब साझेदारी फर्म प्राथमिक/मूल अपराध केलिए मूल नहीं है।

3. हमें तथ्यों का ब्यापक रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है यह ध्यान देने केलिए प्रयाप्त है कि हमारे सामने प्रतिवादी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक साझेदारी फर्म मेसर्स का सावधी ऋण और नकद ऋण सुविधा प्रदान की थी। वैश्विक पैकेजिगं 3, 4 अक्टुबर 2012 को 6,73,80,000 रूप्ये का यह आरोप लगाया है कि ऋण का आंशिक पुनःभुगतान में फर्म अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के माध्यम से सिमैया हरीरामणि ने रूपये के तीन चेक जारी किये थे। 25,00000/ प्रत्येंक 17 अक्टूबर 2015, 27 अक्टूबर 2015 और 31 अक्टूबर 2015 को

हांलाकि अप्रयाप्त धन के कारण चेक का अनादर किया गया था। 4 नवम्बर 2015 को बैंक ने अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से एन आइ अधिनियम की धारा 138 के तहत सिमैया हरीरामणि को मांग नोटिस जारी किया। 7 दिसम्बर 2015 को प्रत्यर्थी बैंक अपने शाखा प्रबंधके के माध्यम से सिमैया हरीरामणि और अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी बालोदा बाजार छत्तिसगढ. के न्यायालय के समक्ष एन.आइ. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। फर्म को आरोपी नहीं बनाया गया था।

'' 8. दोनों आरोपी न. 1 और आरोपी न. 2 ऋणी फर्म के भागीदार है। अभियुक्त न0 1 देनदार फर्म के एक भागीदार के रूप में, देनदार फर्म के दायित्व के तहत एक ऋणपत्र जारी करता है। इस प्रकार साझेदारी नियम 1932 की धारा 20 के तहत अभियुक्त संख्या 2 मानित भागीदारों के अंतःर्निहित अधिकार और दायित्व के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। ''

डपर वर्णित पारा के अलावा अपीलार्थी के पत्यावर्ती दायित्व को स्थापित करने केलिए कोई अन्य दावा या बयान नहीं दिया जाता है।

138. खाते में धन की अप्रायप्ता आदि केलिए चेक अनादर। जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन केलिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि भुगतान केलिए किसी बैंकर में रखे गये खाते से निकाला गया कोई चेक बैंके द्वारा भुगतान किये बिना वापस कर दिया जाता है या इस कारण से कि उस खाते में जमा की गयी राशि चेक का समान करने केलिए अप्रयाप्त है याकि वह उस बैंक के साथ किये गये समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान करने केलिए व्यवस्थित राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करनेवाला माना जायेगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे दो साल तक की अबधी के कारावास सा जुर्माने से दंडित किया जायेगा जो कि राशि से दोगुणा हो सकताहै या दोनों के साथ।

बशर्त्त कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि

क. 6 महीना के अबधी के भीतर बैंक को चेक प्रस्तुत किया गया है जिस तारीख को इसे खींचा गया है या इसकी बैद्यता की अबधी के भीतर जो भी पहले हो

ख. प्राप्तकर्त्ता या धारक जैसा भी मामला हो चेक के निहित समय में नोटिस देकर उक्त राशि की भुगतान की मांग करता है, भुगतान न किये गये चेक की वापसी के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक के दराज को लिखना।

ग. इस तरह का चेक का आहरण कर्त्ता उक्त सूचना की प्राप्ती 15 दिनों के भीतर चेक के नियत समय में प्राप्तकर्त्ता को या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है

स्पष्टीकरण– इस धारा की परियोजना केलिए ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व

4. प्रतिवादी बैंक ने गवाह के रूप में पेश किया था। प्रशान्त कुमार भाटिया पी.डब्लू –1 जिन्हें प्रत्यार्थी के शाखा प्रबंधक के रूप मे तैनात किया गया था और उन्होंने पदच्यूत किया था कि फर्म एक साझेदारी फर्म थी और सिमैया हरीरामिणी इसके भागीदार थे। फर्म ने सावधी ऋण और नकद ऋण का लाभ उठाया था और रूपये 25,00000/ की तीन चेक दिये थे जिसका अप्रयाप्त धन के कारण अपमान किया गया था। मांग नोटिस के बाद भी प्रदशर्नी पी 04 अभियुक्त ने राशि जमा नहीं की थी इस प्रकार एन आइ अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की गयी । अपने जॉच में पी. डब्लू 1 ने स्वीकार किया कि फर्म को मांग नोटिस जारी नहीं किया गया था और दिलीप हरीरामणी और सिमैया हरीरामणी ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कोई ऋण प्राप्त नहीं किया था।

5. 19 फरवरी 2019 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी और सिमैया हरिरामणी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा दोषी ठहराया गया था। दंडप्रक्रिया 1973 और चूक में एक महिने केलिए अतिरिक्त कारावास का सामना करता

पड़ता है अपीलार्थी और सिमैया द्वारा दायर एक अपील हरिरामणी ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुये सत्र न्याधीश बलौदा बाजार छत्तिसगढ़ द्वारा 21.11.2019 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया था। हांलाकि अपीलय अदालत ने उन्हें दी गयी सजा को संशोधित किया था। न्यायालय के उदय तक कारावास साथ ही धारा 357 3 के तहत मुआवजे की राशि को 97,50,000 से 1,20,00000/ कर दिया। इस शर्त्त के साथ कि अपीलार्थी और सिमैया हरीरामणी को भुगतान करने में बिफल रहने की स्थिति में तीन महिने केलिए अतिरिक्त कारावास की सामना करना पड़ेगा।

6. अपीलार्थी और सिर्मया हरिरामणी ने छत्तिसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को चुनौती दी जिसे 12 अक्टुबर 2020 के विवादित फैसले द्वारा खारीज कर दिया गया। विवादित फैसला मुख्य रूप से मोनाबेन केतन भाई शाह और अन्य बनाम गुजरात सरकार में इस अदालत के फैसले पर निर्भर करता है और अन्य का मानना है कि एन आइ अधिनियम के तहत दायित्व केबल उन भागीदारों पर है जो अपने व्यवसाय की संचालन केलिए फर्म केलिए जिम्मेदार है बर्त्तमान मामले में दोनों अपीलार्थी और सिमैया हरीरामणी ने फर्म द्वारा बैंक से उधार ली गयी राशि की गारंटी दी थी। उच्च न्यायालय द्वारा सटिक तर्क इस प्रकार है–

'' 15. इस पुनरिक्षण याचिका में केबल एक ही सवाल उठाया गया है कि व्यक्तिगत क्षमता में आवेदकों का अभियोजन नहीं था। विचारणीय चर्चाओं को देखते हुये जगह से बाहर प्रतीत होता है, जो यहां उपर की गयी है वह एक व्यक्ति का दायित्व है, एक फर्म का भागीदार जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। शिकायत के कारण शिर्षक में उचित उल्लेख करने में चूक से ऐसा नहीं होगा। स्वयं शिकायतकर्त्ता को अधिकार नहीं है जिसके पास दावा करने का और जिसके पास भागीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। शिकायत के कारण शिर्षक निश्चित रूप से उल्लेख नहीं करता है। आवेदक का अन्य विवरण लेकिन वाद का मुख्य भाग अस्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आवेदक मेंसर्स ग्लोबल पैकेजिगं का भागीदार है।

16. 1881 के अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रावधान है कि दोषी कौन माना जा सकता है और इसमें संबंधित व्यक्ति उल्लेख है न कि कंपनी का इसलिए इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी आवेदक कानून के प्रावधानों के खिलाफ या खिलाफ नहीं है।''

7. इसके पहले कि हम अनीता हाडा बनाम गौड फादर ट्रैभल्स और टूर प्राइवेट लि0 में प्रासंगिक कानूनी अनुपात का उल्लेख करे। प्रसाधन सामर्गी अधिनियम जो एन आइ अधिनियम की धारा 141 के समान है इसलिए सुविधा केलिए और वर्त्तमान में निर्णलय लेने केलिए हम एन आइ की अधिनियम की धारा 141 को पुन : प्रस्तुत करेगें।

'' 141. कंपनियों द्वारा अपराध– 1. यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है तो प्रत्येंक व्यक्ति जो जिस समय अपराध किया गया था उसका प्रभारी था और कंपनी के साथ साथ कंपनी का व्यवसाय के संचालन केलिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था। उसे अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही और दंडित किया जायेगा तद्नुसार बशर्त्ते कि इस उपधारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को दंड केलिए उत्तरदायी नहीं बनायेगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने केलिए उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। बशर्त्ते जहां किसी व्यक्ति को उसके किसी पद या रोजगार के आधार पर किसी कंपनी के निदेषक के रूप में नामित किया

जाता है किन्द्र सरकार या राज्य सरकार या एक वित्तीय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगम जैसा भी मामला हो वह उत्तरदायी नहीं होंगा। इस अध्याय के तहत अभियोजन केलिए

2. उपधारा 1 में किसी भी बात के होते हुये भी जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध इस कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेषक प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी के सहमति या मिली भगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही केलिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ऐसे निदेषक प्रबंधक सचिव, या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और तद्नुसार दंडित किया जाय।

स्पष्टीकारण–इस धारा की परियोजना केलिए

क. कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का संध है।

ख. किसी फर्म के संबंध में निदेषक से फर्म में भागीदार अभिप्रेत है।

357.3 जब कोई न्यायालय सजा अधिरोपित करता है जिसमें जुर्माना एक हिस्सा नहीं है तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजे के रू॰ में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो उस व्यक्ति को निर्दिष्ट की जा सकती है जिसे उस कार्य के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को इस तरह की सजा सुनाई गयी है।

34. कंपनियों द्वारा अपराध

1 जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है वहां प्रत्येंक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के जिम्मेदार था साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही किया जायेगा और उसे दंडित किया जायेगा। बशर्त्ते कि इस उपधारा में निहित कुछ भी ऐसी व्यक्तियों को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड केलिए उत्तरदायी नहीं बनायेगा। यदि वह साबित करता है कि अपराध उसके जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने केलिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

2. उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई अपराध यह अधिनियम कोई एक कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से हटा दिया गया है या किसी भी उपेक्षा केलिए जिम्मेदार ठहराया गया है कंपनी के किसी निदेषक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी जैसे कि को भी इसके लिए दोषी माना जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार दंडित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणं–*इस धारा के परियोजना के लिए*

क. कंपनी से निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें एक फर्म या अन्य संघ शामिल है।

ख्I. किसी फर्म के संबंध में निदेषक का अर्थ है फर्म में भागीदार।

एन. आई.अधिनियम की धारा 141 की उप धारा 1 में कहा गया है कि जहां कोई कंपीन अपराध करती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय अपराध करता है।

निदेशक, भागीदार या अनय अधिकारियों या व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रयाप्त व्यापक और व्यापक। साथ ही, यह इस प्रकार हे कि एक व्यक्ति जो कंपनी के प्रभारी और उसके व्यवससाय संचालन के लिए जिम्मेदार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वह इसके तहत अप्रत्यक्ष रू॰ से उत्तरदायी नहीं है। एन.आई. अधिनियिम की धारा 141अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने का भार है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया है वह कंपनी का प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था। परंतु, जो एक अपवाद की प्रकृति का है, कहता है कि उप धारा 1के तहत उत्तरदायी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा यदि यह साबित करता है कि अपराध उसके बिना किया गया था। या कि उसने इस तरह के अपराध को रोकने कलिए सभी उचित प्ररिश्रम का प्रयोग किया था। अपेक्षाओं को पूरा करने और परंतुक का लाभ उठाने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है। फिर

भी, यह एन.आई. अधिनियम की धारा 141 की उप धारा 1 की आवश्यकताओं को पहले स्थापित करने केलिए अभियोजन पक्ष पर प्रारंभिक दायित्व और वोझ को विस्थापित या समाप्त नहीं करता है। परतुक एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो अन्यथा एन.आई. ऐक्ट की धारा 141 की उप धारा 1 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

8. एन.आई. अधिनियिम की धारा 141 की उप धारा में कहा गया है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी ने अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है, और यह साबित होता है कि ऐसा अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, पर किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। या कंपनी के अन्य अधिकारी, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई और दंडित किया जाएगा। तद्नुसार एन.आई. अधिनियम की धारा 141 की उप धारा 2 में यह नहीं कहा गया है कि गणना किए गए व्यक्तियों, जिसमें कंपनी का एक अधिकारी शामिल हो सकता है, पर केवल उनकी स्थिति या स्थिति के कारण मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।

'एस. एम.एस.फार्मास्युि

टकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और एक अन्य, (2005) 8 एस.सी.सी. 89, पारा 4 और 9

(संजीव खन्ना, जे।)

थ्नदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी के रूप में, जब तक कि अपराध्ध न हो।

थ्वचाराधीन उनकी सहमति या मिलीभगत से किया गया था या उनकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एन.आई. अधिनियम की धारा 141 की उप धारा 2 के तहत जिम्मेदार अभियोजन की है न कि व्यक्ति की ।

9. प्रताप चंद में, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धारा 34 के स्पष्टीकरण का विशिष्ट संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि धारा 34 के लिए , एक कंपनी का अर्थ है एक निगिमित निकाय और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का संघ शामिल है, और एक फर्म के संबंध में एक निदेशक का अर्थ है फर्म में एक भागीदार। इसके बाद, दूसरे का दोषसिद्ध प्रत्यर्थी फर्म में भागीदारों में से एक को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसे केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उस साझेदारी विलेख के संदर्भ में फर्म के व्यवसाय में भग लेने का अधिकार है। इस प्रकार, इस कानूनी स्थिति के वावजूद कि एक फर्म एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है, एक भागीदार फर्म द्वारा किए गए अपराध केलिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा दोहरी आवश्कताओं में से एक को पूरा और स्थापित नहीं किया जाता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखत तर्क दियाः

''यह देखा गया है कि किसी फर्म का भागीदार भी फर्म द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने केलिए उत्तरनदायी है यदि वह फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए फर्म का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, या यदि वह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया था, या किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार था। संबंतिधत भागीदार का हिस्सा। वर्त्तमान मामले में दूसरे प्रतिवादी को इस आधार पर उत्तरदायी बनाने की मांग की गई थी िकवह पहले प्रतिवादी के साथ फर्म के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी था। दिशी मुद्रा की धारा 23 सी

विनियमन अधिनियम, 1947 जो समान रूप से धारा के समान था

34 औषधि और प्रसाधन साम्री अधिनिपयम की व्याख्या की गई

जी. एल गुप्ता बनाम डी. एच. मेहता, (1971) 3 एस.सी.सी. 189 जाहं इसे निम्ननुसार मनाया गयाः

''फिर प्रभारी व्यक्ति' की अभिव्यक्ति क्या करती है और किसी कंपनी के कार्य के संचालन के लिए उत्तरदायी साधन? यह धान दिया जाएगा कि 'कंपनी' शब्द में एक अन्य संगठन शामिल हे, और यही परीक्षण एक प्रभारी निदेशक और एक व्यवसाय के प्रभारी फर्म के भागीदार पर लागू होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में प्रभारी व्यक्ति का मतलब यह होना चाहिए कि व्यक्ति को दिन प्रतिदिन कमे समगर नियंत्रण में होना चाहिए। कंपनी या फर्म का व्यवसाय। यह अनमान (2005)4 एस.सी.आर. से मिलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शब्द इसमें निदेशक का उल्लेख है, जो कंपनी द्वारा अपनाई जा रही नीति का एक पक्ष हो सकता है और फिर भी कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसमें प्रबंधक का उल्लेख है, जो आमतौर पर व्यवसाय का प्रभारी होता है लेकिन समगर प्रभार में नहीं । इसी तरह अन्य अधिकारी व्यवसाय के केवल कुछ हिस्से के प्रभारी हो सकते है।

10. हम धारा पर कानून के सारांश का भी उल्लेख करेगे।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में यह न्यायालय उर्मीत सिंह पेंटल और एक अन्य, '' निम्नलिखित प्रभाव के लिए,

''39. उपरोक्त चार्चा से निम्नलिखित सिद्वांत सामने आते है,

क. शिकायतकत्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कवह शिकियत में कानून के तहत आवश्यक विशिष्ट कथन करे ताकि आरोपी को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जासके। अपराधी को फांसी देने केलिए दायित्व ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि प्रत्येक निदेशक इसके बारे में जानता है

ख. धारा 141 सभी निदेशकों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाती है। अपराध / आपराधिक दायित्व केवल उन लोगों लगाया जा कसता है, और व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे कंपनी।

ग. पंजीकृतक कंपनी के विरूद्व प्रत्यावर्ती देयता का अनुमान लागाया जा सकता है। या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत केवल तभीनियमित किया जाता है जब आवश्यक हो बयान, जिनका शिकायत में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। याचिकाएं की जाती है ताकि उसमें अकिभयुक्त को परोक्ष यप से बनाया जा सके। अभिकथनों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अपराध्ध केलिए उत्तरदायी याचिका में कहा गया है कि आरोपी प्रभारी थे औरन कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार और उनके आधार पर स्थिति जिसके साथ वे आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी है।

घ. किसी व्यक्ति की ओर से सिद्व किया और अनुमान नहीं लगाया।

ड. उत्तरदायी बनाए जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदा होना चाहिए।

0 3 एससीसी 330:इस मामले में समन आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही , समन आदेश के स्तर पर अदालतों द्वारा किराया प्रतिबंधित/सीमित है।

प्रसंगिक समय इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसे मामलों में निदेशक का दायित्व माना जाता है।

11. वर्त्तमान मामले में हमने शिकायत की सामग्री और पीडब्लू–1 के बयान को पुनः प्रस्तुत किया है । यह एक स्वीकृत मामला है। प्रत्यर्थी बैंक ने कहा है कि अपीलार्थी ने तीन चेकों में से कोई भी जारी नहीं किया था, जिसका अपमान किया गया था, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या अन्यथा एक भागीदार के रूप में। अभियोजन पक्ष के नेतृत्+व में किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह दिखाने और स्थापित करने केलिए कि अपीलार्थी फर्म कमे मामलों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, इस अदालत द्वारा गिरधारी लाल गुप्ता बनाम में एक अभिव्यक्ति4 की व्याख्या की गइर्द उी.एच. मेहता और अन्य 11 का अर्थ है 'कंपनी या फमउ के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के समगर नियंत्रण में एक व्यक्ति' अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। 1.2 अपीलार्थी को केवल इसलिए दोष्ज्ञी नहीं ठहराया जा सकता है कि वह उस फर्म का भगीदार था जिसने ऋण लिया था वह ऐसे ऋण के लिए गारंटर के रूप में खड़सा था। साझेदारी अधिनियम, 1932 नागरिक दायित्व पैदा करता है। इसके अलावा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत गारंटर का दायित्व एक नागरिक दायित्व है। अपीलार्थी का नागरिक दायित्व हो सकता है और वह बैंको और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वससूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और नुननिर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत भी उत्तरदायी हो सकता है। हालांकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में आपरापधिक कानपून में प्रत्यावर्ती दायित्व को नागरिक दायित्व के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है । एन.आई. अधिनियम की धारा 141 की उप धारा 1 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व को तब निर्धारित किया जा सकता है जब व्यक्ति कंपनी या फर्म के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के समगर नियंत्रण में हो।

एन.आई. अधिनियम की धारा 141 की उप धारा 2 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व निदेषक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत आरचण, आर्यात्मक या लेन देन की भूमिका के कारण उत्तपन्न हो सकता है, इसके वावजूद कि अपराध के समय व्यक्ति कंपनी के दिन प्रितिदिन के व्यवसाय के समगर नियंत्रण में नहीं था। के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व

ळरिरामणी, फर्म के अधिकृतक हस्ताक्षरकर्त्ता। न्यायालय के समक्ष एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत 07 दिसम्बर 2015 की शिकायत 11 (1971) 3 एस.सी.सी. 189 1 2 कर्नाटक राज्य बनाम प्रताप चंद और अन्य, (1981) 2 एस.सी. 335

सिमैया हरिरामानी और अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी, बालोदाबाजार, छत्तीसगढ़ का न्यायाधीश बनाया गया था । इस प्रकार, उर्त्तमान मामलेमें, फर्म का आरोपी नहीं बनाया गया है या अपराध केलिए मुकदमा चलाने केलिए तलब भी नहीं किया गया है।

13. डेल डिसूजा बनाम में निर्णय । भारत सरकार

डप मुख्य श्रम आयुक्त सी और एक अन्य माध्यम से, 13 ने इस सवाल का जबाब दिया कि क्या कंपनी पर मुकदमा चलाए बिना किसी निदेशक या भागीदार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस संदर्भ में मद्रास राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा व्यक्ति किए गए विचारों को ध्यान में रखा गया था। एक ओर सी.बील. पारेख और दूसरी ओर भिन्न दृष्टिकोण अनीता हाड़ा में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निपटारा किया गया था, 13 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1012 14 14 1970 3 एस.सी.सी. 491: 3. हालांकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 के आधार पर दोनों उत्तरदातओं को दोषी ठहराने की मांग की। जिसके तहत, यदि धारा 3 (जिसमें लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के तहत एक ओदश शामिल है) के तहत किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंधन किए जाने के समय कंपनी के साथ साथ्ज्ञ कंपनी के व्यवस्ज्ञाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसे उल्लंधन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तद्नुसार दंडित किया जाएगा। यह आग्रह किया गया था कि दोनों प्रतिवादी कंपनी के व्यवससाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी थे, और इसके लिए जिम्मेदार थे, और इसके प्ररिणामरूवरूप, उन्हें बिक्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इस प्रकार लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश के खंड 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह धारा 10 की प्रयोज्यता के लिए पहली शर्त्त की अनदेखी करता है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति स्वयं एक कंपनी होनी चाहिए। वर्त्तमान मामले में, दंडाधिकारी या उच्च न्यालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश के खंड 5 के उल्लंघन में विक्री कंपनी द्वारा की गयई थी। वास्तव में, कॅपनी पर अपराध का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था। कंपनी के प्रभारी व्यक्तियों का दायित्व केवल तभी उत्तपन्न होता है जब उल्लंधन स्वयं कंपनी द्वारा किया जाता हैं चूंतिक, इस मामले में, कोई सबूत नहीं है और कोई निष्कर्ष नहीं है कि कंपनी ने लौह और इस्पात नियंत्रण आदेश के खंड 5 का उल्लंघन किया है, इसलिए दोनों उत्तरदाताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा कसता है। वास्तविक उल्लंघन कामदार और वल्लभदास ठाकरे द्वारा किया गया था और उनके द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन से उत्तरदाताओं पर जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी। इसलिए, प्रत्यर्थियों को वरी करना पूरी तरह से उचित है। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

15 (1984) 4 एस.सी.सी. 352, अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनी में से कोई भी व्यक्ति व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रत्येंक प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति, था कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जिसकी सहमति या मिलीभगत से या जिसकी उपेक्षा के कारण अपराध किया गया था, उस पर अकेले ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

6 (2000) 1 एस.सी.सी.1, '' 13 , यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया था तो उसे केवल तभी दंडित किया जा सकता है जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन कंपनी पर मुकदमा चलाने के बजाय यदि कोई प्राप्तकर्त्ता दिलीप हरिरामणि बनाम।

[बैंक ऑफ बडौदा संजीव खन्ना, जे.]

जिसमें, एन.आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत प्राथमिक/प्रयाप्त दायित्व और प्रत्यावर्ती दायित्व के बीच के अंतर की व्याख्या और व्याख्या करते हुए, इसने अभिनिर्धारित किया है:

'' 51 हम पहले ही राय दे चुके है कि शेओराटन में निर्णय

टग्रवाल सी.वी. पारेख में निर्धारित अनुपात के विपरी है जो एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है और इसलिए, यह एक बाध्यकारी मिसाल है। उपरोक्त अनुपात पर, अनिल हाड़ा में निर्णय को सही आनून निर्धारित नहीं करने के रूप में माना जाना चाहिए जहां तक यह कहा गया है कि निदेशक या किसी अन्य अधिकारी पर बिना मुकदमा चलाए चलाया जा सकता है। कंपनी का अपमान। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि एक अलग प्यदान पर खड़ा होगा जहां कुछ कानूनी है। बाधा और लेक्स नॉन कोजिट एंड इम्पॉसिविलिया का सिद्धांत मिलता है आकर्षित किया ।

59. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन बनाए रखने केलिए, एक कंपनी को आरोपी के रू॰ में आरोपित करना अनिवार्य । अपराधियों की अन्य श्रेणियों को केवल

प्रत्यावर्ती देयता की कसौटी पर ड्रेग नेट में लाया जा सकता है क्योंकि यही प्रावधान में ही निर्धारित किया गया है। हम इस आधार पर कहते है कि सी.वी. पारेख में निर्धारित अनुपात जो कि तीन न्यायाधीशों की पीठ है।

निर्णय ले। इस प्रकार, श्योरतन अगवाल में व्यक्त विचार ऐसा ही है कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है और तनु1सार इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। अनिल हाड़ा में निर्णय को क्वालीफायर के साथ खारिज कर दिया गया है जैसा कि कहा गया है।

पारा 51 में मोदी डिस्टिलरी में निर्णय को माना चाहिए

अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित रहें जैसा कि हमारे द्वारा समझाया गया है इसके उपर''

केवल दूसरी या तीसरी श्रेणी के भीतर आने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है, भुगतानकर्त्ता मामले मतें तभी सफल हो सकता है ज बवह यह दिखाने में सफल हो कि अपराध वास्तव में कंपनी द्वारा किया गयाथा। ऐसे अभियोजन में अभियुक्त यह दिखा सकता है कि कंपनी ने अपराध नहीं किया है, हालांकि ऐसी कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, ओर इसलिीए अभियोजित अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा कसता है। प्रावधानों मं यह शर्त्त नहीं है कि कंपनी के खिलाफ मुकदमा अनिवार्य है।

उपर वर्णित दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निष्कर्ष कि अपराध कंपनी द्वारा किया गया था।, उन अन्य व्यक्तियों को दोषी ठहराने केलिए अनिवार्य है। लेकिन अगर किसी कंपनी पर किसी कानूनी गड़बड़ी या अन्यथा के कारण मुकदमा नहीं चलाया जाता है, त4ो अन्य अनियोजित4 व्यक्ति, केवल उसी आधार पर अधिनियम की धारा 141 में परिकल्पित कानूनी कल्पना के माध्यम से बनाए गए दंडात्मक दायित्व से बच नहीं सकते है।

14. धारा 141 के प्रावधान काल्पनिक मानते हुए प्रत्यावर्ती दायित्व लागू करते है जो कंपनी याफर्म द्वारा अपराध करने का अनुमान लगाता है और इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए, जब ितक कंपनी या फर्म ने प्रमुख अभियुक्त के रूप में अपराध नहीं किया है, तब तक उप धारा 1 या 2 में उल्लिखित व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगें और पत्यक्ष रूप से उत्तरदायी के रूप में दोष्ज्ञी नहीं ठहराए जाएंगे। एन आई अधिनियम की धारा 141 प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व पर विस्तार करती है।

क्पनी या फर्म से जुडे अधिकारी जब जुडवा में से एक हो

धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है, तो किस व्यक्ति या व्यक्तियों को काल्पनिक मान कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है और दंडित किया जाता है। हालंकि, इस तरह की प्रत्यावर्ती देयता केवल तभी उत्पन्न होतील है जब कंपनी या फर्म प्राथमिक अपराधी के रूप में अपराधस करती है। इस दृतिष्टकोण का बाद में शरद कुमार सांधी बनाम में पालन किया गया है। संगीता राणे, ''हिमांशु बनाम बी. शिवमू2र्ति और अन्य, 1.8 और हिुन्स्तान युनिलीवर लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1.9 अनीता हाडऋा में उकेरा गया अपवाद

ज्ब किसी कंपनी को एक पक्ष के रूप में नहीं रखा गया है, तो उसके खिलाफ कोई काग्रवाही शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही कुछ कानूनों तहत प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित किया गयाहो। अनीता हाड़ा बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऐसा निर्णया दिया है प्राक्मय लिखित अधिनियम, 1881 के संदर्भ में गांडफादर ट्वेल्स एंड दूर्स पी लि0 । 18 (2019) 3 एससीसी 797,''

13. कंपनी के अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत इसलिए विचारणीय नही थी। अपीलार्थी ने कहा था

कंपनी के निदेशक के रूप में और उसके लिए और उसकी ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, कंपनी को मांग की सुचना दिए जाने के अभाव में और धारा 138 के प्रावधान को पालन किए बिना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि कंपनी को अब एक आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है।

1919 (2020) 10 एससीसी 751, '' 23. अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 1 का खंड ए नामित व्यक्ति को कंपनी का प्रभारी और आचरण` लिए जिम्मेदार नाता है। व्यवसाय और कंपनी अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 1 के खंड बी के त4हत अपरधों के लिए दोषी होगी। इसलिए, एन.आई. अधिनियम की धारा 141 और अधिनियम की धारा 17 के बीच कोई भोतिक अंतर नहीं है जो कंपनी के साथ साथ नामित व्यक्ति को उपराधी ठहराता है और या तद्नुसार कार्यवाही और दंडित करने केलिए उत्तरदायी बनाता है खंड ए और बी विकल्प में नहीं बल्कि संयुक्त है। इसलिए, कंपनी की अनुपस्थिति में, नामित व्यक्ति को दोषी या इसके विपरीत नहीं ठहराया जा सकता है। चूँकि कंपनी को निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए हम पाते है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अपीलार्थी नामित व्यक्ति के लिए अनुचित होगा जो पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से मुकदमे का सामना कर रहा है। इसलिए कमी को भरने केलिए निचली अदालत को रिमांड का आदेश उच्च न्याया द्वारा

प्रयोग किया जाने वाला एक उचित विकल्प नहीं है क्योंकि निचली अदालत द्वारा कंपनी को दोषी ठहराने में विंफलता नामित व्यक्ति की पूरी दोषसिद्धि को अस्थिर बनाती है दिलीप हरिरामनी बनाम।

[*बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव खन्ना, जे.*]

उपर्युक्त, 20 जो उस समय लागू होता है जब किसी कंपनी या फर्म पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कानूनी रोक होती है, वर्त्तमान मामले के लिए सम्मानजनक नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई अनुरोध या दावा नहीं किया जाता है।

15. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम वर्त्तमान अपील की अनुमति देते हे और एन.आई. अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दें। सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्ध और सजा के आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा निष्पादित जमानत वांड, यदि कोई हो, रद् कर दिए जाएंगे। अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है।

21. तथापि, इस संबंध मउें कोई आदेश नहीं होगा कि लागतें।

अपील की अनुमति दी गई।

श्नाधि जैन

(*सहायकःतमन्ना, एलसीआरए*)

20. अपवाद तब होगा जब कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया हो या वैधानिक प्रतिबंध के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हो।

21. तथापि, चूंकि सिमैया हरिरामणी ने कोई अपील नहीं की है, हम उनके मामले में कोई राय व्यक्ति नहीं करते है।